न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2017-00146 RAAJodhpur2017-14RTA223Nasirdeen ors Vs Nenu Khan etc

1. नसीरदीन पुत्र अली खां,
2. बच्चु खां पुत्र अली खां
3. शेर खां पुत्र अली खां के कायम मुकामः -
   3.1. अयुब पुत्र शेर खां
   3.2. बिलाल पुत्र शेर खां
   3.3. फारुख पुत्र शेर खां
   3.4. मेहबूब पुत्र शेर खां
   3.5. जुबेदा पुत्री शेर खां
   3.6. मुन्नी पुत्री शेर खां
   3.7. मदीना पत्नी शेर खां
4. अब्दुल खां पुत्र अली खां

सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- शैतानसिंह नगर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

--- **अपीलाण्ड्स**

ब

ना

म

1. नेनू खां उर्फ अब्दुल हकीम पुत्र मीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी- शैतानसिंह नगर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
2. कालू खां पुत्र चान्द खां
3. आमीन खां पुत्र चान्द खां
4. जबरकी पुत्री चान्द खां
5. भमूडी पुत्री चान्द खां
6. टेमी पुत्री चान्द खां
7. सरनाज पुत्री चान्द खां
8. सुगना पुत्री चान्द खां
9. अमरदीन पुत्र करीम खां

सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- ग्राम बुचेटी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

10. उमर खां पुत्र हाजी अता मोहम्मद
11. इलियास खां पुत्र अता मोहम्मद

जातियान् सिन्धी मुसलमान, निवासी- बरकत कॉलोनी, फलोदी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12. सदीक पुत्र शेर खां, जाति मुसलमान, निवसी- देणोक, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
13. रईसो पत्नी उमर खां
14. जैनफ खातू पत्नी इलियास खां
    जातियान् मुसलमान, निवासीगण- बरकत कॉलोनी, फलोदी, जिला जोधपुर।
15. इमामत पत्नी शेर खां
16. सुगी पत्नी अब्दुल खां
    जातियान् मुसलमान, निवासीगण- शैतानसिंह नगर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
17. सवाईसिंह पुत्र पन्नेसिंह, जाति राजपूत, निवासी- शैतानसिंह नगर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
18. शेषकरण पुत्र बालमुकुंद व्यास,
19. सुशील व्यास पुत्र शेषकरण,
20. कोमल पत्नी सुशील व्यास,
    जातियान् पुष्करणा ब्राहमण व्यास निवासीगण- फलोदी, जिला जोधपुर।
21. गफ्फूर खां पुत्र करीम खां
22. शेर खां पुत्र करीम खां
23. सरादीन पुत्र करीम खां
    सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- ग्राम बुचेटी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
24. तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2016 राजस्व मूल वाद संख्या 248/2010 नेकू खां बनाम कालू खां इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री किशनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01, 18 से 20
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 08 फरवरी 2023

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 नवंबर 2016 राजस्व मूल वाद संख्या 248/2010 नेकू खां बनाम कालु खां इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 फरवरी 2017 को पेश की गयी है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक ने एक वाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 29 रकबा 160 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 62 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 104 रकबा 82 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 104/1 रकबा 91 बीघा 06 बिस्वा ग्राम शैतानसिंह नगर तहसील फलोदी के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2016 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय द्वारा न तो नियमानुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नोटिस जारी किये गये और न ही नियमानुसार तामील करवायी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सुने ही विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुछ रेस्पोडेंट्स के नोटिस तामील होने के पश्चात एकतरफा कार्यवाही कर दी गई तथा कुछ रेस्पोडेंट्स द्वारा जवाब पेश किया गया जो रेकर्ड पर ही नहीं लिया गया तथा न ही अपीलाधीन निर्णय एवं इसका खुलासा किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प में रखकर अधिवक्तागण की सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जबकि पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने बाबत किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया तथा न ही पक्षकारान् को इस बाबत कोई सूचना दी गई। इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत न तो प्रतिवादीगण से जवाब लिया गया तथा न ही तनकीयात कायम की गई तथा बिना प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसकी सूचना अपीलांट्स को नहीं दी गई। अपीलांट्स द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 10.02.2017 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनकी पीठ के पीछे बेक डेट में आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्यार शुमार की जाकर स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 12 नवंबर 2016 को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 18 से 20 ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले का राष्ट्रीय लोक अदालत में उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में अपीलांट्स के हक-हिस्से में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। रेस्पोडेंट्स पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र के विरोध में कांउटर शपथ-पत्र पेश नहीं किये जाने तथा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 12.11.2016 को नियत थी। उक्त नियत पेशी दिनांक 12.11.2016 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी जाकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने की सूचना अपीलांट्स को दिये जाने बाबत नोटिस विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत दावे में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रतिवादी का जवाब लिये बिना ,तनकीयात कायम किये बिना तथा अपीलांट्स को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये बिना केवल पक्षकारान् की सहमति दर्शाकर प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है तथा बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत वादीगण का दावा स्वीकार किया जाना पाया जाता है। इन परितस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखने योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 नवंबर 2016 राजस्व मूल वाद संख्या 248/2010 नेकू खां बनाम कालु खां इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16 मार्च 2023 को उपस्थित हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.02.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर